संख्या—20/1/91/का—2—2008

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग—2 लखनऊ :: दिनाक 09 जून, 2009

विषयः— सरकारी विभागों में सरप्लस स्टाफ का समायोजन ।

महोदय,

कार्मिक विभाग के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22.09.2008 के द्वारा राजकीय विभागों में उपलब्ध सरप्लस स्टाफ का उपलब्ध रिक्तियों में समायोजन किये जाने और उसके उपरान्त ही नयी नियुक्तियॉ किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। इस बीच अनुभव किया गया है कि बड़ी संख्या में रिक्तियॉ उपलब्ध होने के बावजूद संदर्भगत शासनादेश के प्राविधानों का लाभ सरप्लस कार्मिकों को प्राप्त नहीं हो रहा है; जबकि प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत कार्मिकों की सेवाओं के समुचित उपयोग के प्रयोजन से वर्तमान में रिक्त पदों पर सरप्लस कार्मिकों की अर्हता एवं उपयुक्तता के आधार पर उनके समायोजन की कार्यवाही किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः सरप्लस कार्मिकों के समायोजन में तेजी लाये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अग्रिम आदेशों तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती/नियुक्ति में निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाये :—

(1) सर्वप्रथम, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—20/1/91—का—2/2008, दिनांक 22.09.2008 के प्रस्तर—(4) में निर्देशानुसार, विभागीय रिक्तियों को भरने हेतु विभागों द्वारा आवश्यक प्रस्ताव नियोजन विभाग के अन्तर्गत गठित 'सरप्लस स्टाफ पूल' प्रकोष्ठ को भेजा जाये। 'सरप्लस स्टाफ पूल' से समायोजन हेतु जिन सरप्लस कर्मियों के नाम विभागों को भेजे जायें, अर्हता, उपयुक्तता एवं नियमों के अन्तर्गत उनके समायोजन पर विचार किया जाये।

(2) यदि सीधी भर्ती की किन्हीं रिक्तियों को सरप्लस कर्मचारियों के समायोजन से न भरा जा सके तो ऐसी रिक्तियों को अन्य रीति से भरे जाने का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग/नियोजन विभाग से सहमति प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाये और तदोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही अन्य रीति से नियुक्तियाँ की जायें।

(3) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाहीं पूर्ववत की जाती रहेगी ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-20/1/91/का-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 3 सा0 नियुक्ति-11.6.2009-(425)-4000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।